निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 16 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के माह 04/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 05/06/2018 से 18/06/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26/05/2017 से 06/06/2017 तक श्री जे एम एस रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह है कि निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला रुद्रप्रयाग एवं चमोली, क्षेत्र, उत्तराखंड।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (समर्पित)
2015-16	--	-	295.15	295.15	2310.18	2310.18	-	-
2016-17	--	-	297.65	253.14	821.85	821.85	-	-
2017-18	-	-	337.26	287.88	571.81	530.06	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम(नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	तिलवाड़ा बाड़ सुरक्षा (नाबार्ड)	-	332.08	332.08	-
2016-17	तिलवाड़ा बाड़ सुरक्षा	-	95.55	95.55	-
2017-18	तिलवाड़ा बाड़ सुरक्षा	-	94.07	94.07	-
2015-16	सुमाड़ी बाड़ सुरक्षा	-	341.35	341.35	-
2016-17	सुमाड़ी बाड़ सुरक्षा	-	95.55	95.55	-
2017-18	सुमाड़ी बाड़ सुरक्षा	-	86.00	86.00	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग में

प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)

मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

अधीक्षण अभियंता,

अधिशासी अभियंता,

सहायक अभियंता,

कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग में

वित्त नियंत्रक , खंडीय लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्क सहायक।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक........... एवं .... को लेखा परीक्षा की गई
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह 03/2018 तथा 09/2017.तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह 05/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

   भाग प्रथम- रुपए 17945

   भाग द्वितीय- रुपए 94630
6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष 05/2018 के अंत में

   1.नकद परिशोधन- शून्य
   2.सामग्री क्रय- शून्य
   3.निक्षेप पंजिका- ₹ 19800848
   4.प्रकीर्ण अग्रिम- 406910
   5.भंडार- (-) 5066869

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1: ₹ 859.62 की धनराशि का शासनादेश की शर्तों के विपरीत व्यय किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्याः 402/**XVII-(2)/F/14-12(07)/2014** आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादून दिनांक 14 मार्च 2014 को दैवीय आपदा / सी.एस.एस. (पुनर्निर्माण) मद के अन्तर्गत 52 योजनाओं की स्वीकृति एवं ₹ 566.91 करोड़ का धनांवटन/व्यय स्वीकृति जारी शासनादेश की शर्तों 1 से 15 अधीन प्रदान की गयी थी। जिसमें से प्रमुख शर्ते इस प्रकार है। धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा स्वीकृति योजनाओं में से एक योजना जनपद रूद्रप्रयाग के ब्लाक अगस्तमुनि विकास क्षेत्र में तिलवाड़ा बाजार की मन्दाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए ₹ 859.62 की धनराशि शासनादेश संख्याः 402/**XVII-(2)/F/14-12(07)/2014** दिनांक 09/05/2014 के द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा इस कार्य की सक्षम अधिकारी मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) के द्वारा दिनांक 08/12/2014 को तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन पंजिका के क्रमांक संख्या 25/2014-15 पर अंकित कर प्रदान की गयी थी। कार्यों के समूह को, जो एक परियोजना के ही भाग है, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिए ली जाए। मात्र इस लिए कार्य के अलग-अलग टुकड़े न किए जाये कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े। यह प्रावधान ऐसे कार्यों पर लागू नहीं होंगे, जो समान प्रकृति के होते हुए भी अपने में पूर्णतया स्वतंत्र हो। अधिशासी अभियन्ता कार्यालय रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासनादेश के विपरीत जा कर तथा वित्तीय अधिकारों से बचने के लिए शासन द्वारा एकमुस्त स्वीकृत धनराशि एवं प्राप्त तकनीकी स्वीकृति धनराशि की टुकड़ों में विभाजित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुए बिना ही निविदा आमंत्रित कर 21 अनुबंधों को गठित कर कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त कर दिया गया था, (उक्त कार्य वित्तीय स्वीकृति दिनांक 14/03/2014 एवं तकनीकी स्वीकृति 08/12/2014 को प्रदान की गयी थी) तथा गठित अनुबंध संख्या 23 व 18 वर्ष 2013-14 संविदाकार अजय वीर सिंह भण्डारी एवं विक्रम सिंह भण्डारी को क्रमशः ₹ 30,56,047.00 एवं ₹ 33,92,382.00 कुल ₹ 64,48,429.00 का भुगतान भी सक्षम अधिकारी से दर अनुमोदित किये बिना ही किया जा चुका था, यही नहीं अनुबंध संख्या 18 व 23 की कार्य

संबंधित माप पुस्तिका के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि एवं समाप्ति तिथि के एक से डेढ वर्ष के बाद कार्य का माप लेना दर्शाया गया था, उक्त से स्पष्ट था, कि अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्य का सत्यापन कार्य प्रारम्भ एवं कार्य की समाप्ति तिथि डेढ़ वर्ष के बाद भुगतान करने से एक वर्ष पूर्व किया गया था। अर्थात जब कार्य कराने की इतनी अति आवश्यकता नहीं थी तो बिना वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर अनुबंधों को गठित कर भुगतान करना अनुचित था। गठित 21 अनुबंधों में से 13 गठित अनुबंधों के दर तुलनात्मक विवरण में सम्प्रेक्षा के दौरान पाया गया कि केवल एक या अधिकतम दो निविदा दरें प्राप्त की गयी थी, तथा दोनों निविदादाताओं की दी गयी दरें ही आगणन की दरों से अधिक थी, जिसके लिए निविदादाताओं से पत्रों के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर विभागीय दरों पर कार्य करने को कहा गया था जिस पर उनकी सहमति प्राप्त की गयी थी। जब कार्य की केवल दो ही निविदा प्राप्त हुई थी, तो पुनः प्रतिस्पर्धा दरों को प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित भी नहीं की गयी थी। जो कि उत्तराखण्ड नियमावली 2008 में उल्लिखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था। ₹ 5,00,00,000.00 (₹ पॉच करोंड़) से अधिक कार्य हेतु राज्य स्तरीय “तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ” द्वारा उन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कम से कम वर्ष में एक बार तथा निर्माण कार्य की निरन्तरता के दौरान कम से कम दो बार अवश्य किया जाये। कार्यालय के द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया था, केवल अनुबंध संख्या 17, 23 व 31 की निर्माण में प्रयुक्त समाग्री का **Registered/ confidential P.W.D. Zonal Laboratory Muni-ki-Reti (Utttarakhand)** से करायीय गयी है, अन्य अनुबंधों में प्रयुक्त समाग्री की गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं से नहीं करायी गयी थी। अनुबंध संख्या 56 एवं 57 संविदाकार रमेश सिंह सजवाण के द्वारा दिनांक 08/05/2015 को लिखित मुख्यत्यारनामा आम में स्पष्ट कहा गया था कि, मैं अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण उपरोक्त कार्य को करने में असमर्थ हूं, जबकि अनुबंध संख्या 56/2014-15 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 20/09/2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19/11/2014 थी एवं अनुबंध संख्या 57/2014/15 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 20/10/2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19/12/2014 थी। अर्थात जब संविदाकार के द्वारा कार्य करने पर असहमति प्रदान की गयी थी, तो विभाग के द्वारा उसके साथ विभागीय दरों पर कार्य करने के लिए निगोशिएशन न करके पुनः निविदा आमंत्रित करके दर अनुबंध गठित कर कार्य कराया जाना चाहिए था, परन्तु विभाग के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आवंटित धनराशि ₹ 157.85 लाख का व्यय भी किया जा चुका था। परन्तु

स्वीकृत योजना में कार्य की प्रगति मासिक प्रगति अनुसार शून्य थी जबकि ₹ 157.85 लाख का व्यय किया जा चुका था। उपरोक्त से स्पष्ट था कि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड प्रक्योंरमेंट निरयमावली 2008 यथा संशोधित में उल्लिखित प्रावधानों में पालन सुनिश्चित किए बिना ही कार्यों के अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ कर समाप्त दर्शाया गया था। जोकि अनियमित था।

इस संबंध विभाग से पूछने पर बताया गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 6 में प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में योजना को विभक्त कर सम्पादित कराया जा सकता है। अतः अवगत कराना है कि उक्त योजना आपदा से संबंधित थी, अतः उक्त कार्यो की तत्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए योजना के एक से ज्यादा अनुबंध किये गये थे, ताकि योजना को समय पर पूर्ण किया जा सके।

विभागीय उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि नियमों में जब प्रावधान स्पष्ट हो तो यह कहकर की आपदा के कार्य थे, इसलिए नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करना था। ऐसा करना कैबिनट सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों एवं शासन के आदेशों की अवहेलना करना होता है। ऐसा तभी किया जा सकता है, जब कैबिनट सरकार के द्वारा बनाये गए नियमों में शिथिलता प्रदान की गयी हो। विभाग की इस लापरवाही से नियमों की अवहेलना कर भारत सरकार से स्वीकृत योजनाओं की प्राप्त एक मुस्त धनराशि जिसके उच्चाधिकारियों के द्वारा एक ही तकनीकी स्वीकृत एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विभाग के अधिकारियों के द्वारा उसकों टुकड़ों में विभाजित कर उच्च अधिकारियों से दर अनुमोदन प्राप्त हुए बिना ही कार्यों के अनुबंध गठित कर बिना प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ प्राप्त किए कार्यों को प्रारम्भ एवं समाप्त कर उनका भुगतान लंबित रखा गया था, जो विभाग की देनदारी थी, जिसका भुगतान कार्य समाप्ति के दो वर्षों के बाद किया गया था। जोकि वित्तीय नियमों के अनुसार अनियमित था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 : रुद्रप्रयाग के जखोली विकास क्षेत्र में सुमाड़ी बाजार की मन्दाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना पर धनराशि ₹ 831.55 लाख का अनियमित व्यय।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग VI के अनुच्छेद 375 व 318 में स्पष्ट उल्लिखित है कि कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक उसकी मंजूरी का प्राक्कलन विस्तृत रूप से न दिया गया हो व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो। शासनादेश संख्या 1428/ XVIII-(2)/14-4(8)/2014 दिनांक 9 मई 2014 के बिन्दु संख्या IV में भी स्पष्ट किया गया था कि कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकर्ति प्राप्त की जाये।

सी.सी.एस. (पुनर्निर्माण) मद के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग के जखोली विकास क्षेत्र में धनराशि ₹831.55 लाख लागत की सुमाड़ी बाज़ार की मंदाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना मार्च 2014 में शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी। योजनन्तर्गत कार्य लागत का 10% अर्थात 83.15 लाख राज्य सरकार व शेष व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। योजना हेतु ₹582.08 लाख की राशि कैंन्द्र सरकार व ₹249.47 लाख की राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी। योजना को धनराशि ₹824.57 लाख की लागत में मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिया गया था। सिंचाई खण्ड के अभिलेखों की जांच (जून 2018) के दौरान योजना के क्रियान्वयन में अधोलिखित कमिया दृष्टिगत हुई थी।

1. सुमाडी बाजार की मन्दाकिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना को एकल कार्य के रूप में स्वीकृत किया गया था। जिसे 19 बाण्डस में विभक्त कर सम्पादित कराया गया था जिनमें से तीन अनुबंध देवी प्रसाद नौटियाल (अनुबंध सं. 48, 63, 74) व तीन अनुबंध प्रेम सिंह नेगी (अनुबंध सं. 24,26,40) के साथ किये गये थे। अतः कार्य को तत्काल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से टुकड़ों में विभाजित किये जाने का उद्देश्य़ अर्थहीन था।
2. कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2014 में प्राप्त हुई थी जबकि जाब सं. 1 व 2 हेतु निविदा फरवरी 2014 में ही आमंत्रित कर ली गयी थी।
3. कार्य की तकनीकी स्वीकृति दिसम्बर 2014 में प्राप्त हुई थी जबकि तकनीकी स्वीकृति के पूर्व कई जांब के कार्य प्रारम्भ किए जा चुके थे। वित्तीय भाग पुस्तिका

भाग- VI के अनुच्छेद 377 के अनुरूप, यदि कार्य आरम्भ करने के मौखिक आदेश दिये गये थे तो उन्हे लेखबद्ध कर उनकी पुष्टि की जानी चाहिए थी।

4. खण्ड द्वरा जांब के अनुबंध दो निविदाओं के आधार पर आबन्टी का चयन कर किये गये थे जबकि वित्तीय नियमानुसार कम से कम तीन निविदाओं के आधार पर आवन्टी का चयन कर अनुबंध किये जाने चाहिए थे।

स्पष्ट है कि सिंचाई खण्ड द्वारा वित्तीय नियमों की अनदेखी कर योजना का सम्पादन किया गया था।

इंगित किये जाने पर सिंचाई खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि योजना तकनीकी सलाहकार समिति 22वी बैठक में अनुमोदित की गयी थी अतः योजना पर किया गया व्यय तकनीकी दृष्टि से उचित है।

खण्ड का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि सम्प्रेक्षा की आपत्ति वित्तीय नियमों के विपरीत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में थी। योजना के तकनीकी रूप से उचित अथवा अनुचित व्यय पर नहीं थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3: ₹4.06 लाख विविध अग्रिम, ₹50.66 लाख स्टाक एवं ₹134.41 लाख डिपॉज़िट धनराशियों का समायोजन लंबित रहना।

(क) वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉज़िट मद में प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि, त्रुटि के कारण हानि आदि (4) अन्य मद में, किसी भी प्रकार से शासकीय हानि, इन सभी प्रकरणो में अधिकारियों/ कर्मचारियो/ फर्मो/ ठेकेदारों/ अन्य विभागों के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदों में विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा में सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते में न डाला जाये तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए। कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि विवरण मासिक लेखा माह 03/2018 के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मे/ठेकेदारों के विरूद्ध विविध अग्रिम की धनराशि ₹ 4,06,910.64 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर भी विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है। वसूली होने पर महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा। उत्तर लेखपरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि वसूली लम्बी अवधि से लंबित थी। अग्रिम पंजिका अद्यतन नहीं किया गया था।

(ख) स्टाक पंजिका वर्ष/माह 03/2018 में एवं मासिक लेखा माह 03/2018 में स्टाक अवशेष के रूप में स्टाक ₹ (-) 50,66,869.00 की समाग्री का प्रकरण लम्बे समय से पड़ा है, खण्ड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, यह धनराशि / समाग्री किन कारणों से अवशेष है इस संबंध में इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि समायोजन की कार्यवाही यथा शीघ्र की जायेगी।

(ग) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम 634 के अनुसार डिपोजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात धनराशि ग्राहक विभाग को वापिस कर दी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्ण निर्माण कार्यों की अवशेष ₹ 134.41 लाख धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात खण्ड स्तर तक अवरूद्ध पड़ी है। जबकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात

निर्माण कार्य यथा शीघ्र ग्राहक विभाग को हस्तगत करके एवं कार्य से संबंधित लेखे बन्द करके अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर दी जानी चाहिए। परन्तु इस धनराशि को खण्ड स्तर पर अवरूद्ध रखा गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने बताया कि समायोजन की कार्यवाही यथा शीघ्र की जायेगी। उपरोक्त तीनों प्रकरणों में विभाग द्वारा समायोजन करने की कार्यवाही के लिए स्वीकार्य किया गया है।

अतः ₹ 4.06 लाख विविध अग्रिम की वसूली एवं ₹ 50.66 लाख स्टाक एवं ₹ 134.41 लाख डिपोजिट धनराशियों का समायोजन लम्बित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की विगत लेखापरीक्षा पत्रावली उपलब्ध नहीं है ।		
<u>योग</u>	00	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

इकाई की विगत लेखापरीक्षा पत्रावली उपलब्ध नहीं है ।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री आर. बी. सिंह	अधिशासी अभियंता (20/07/15 से 06/09/17 तक)
(ii)	श्री धीरेन्द्र पुंडीर	अधिशासी अभियंता (07/09/17 से 24/10/17 तक)
(iii)	श्री त्रिलोक सिंह गुसाई	अधिशासी अभियंता (25/10/17 से वर्तमान तक)

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

श्री आलोक कुमार

श्री रघुवीर सिंह राणा

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II